गोपनीय

भारतीय रिज़र्व बैंक

31 मार्च 20— को विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों संबंधी वार्षिक विवरणी

(सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के लिए ---------- के

ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. -- के तहत भरी जाने वाली विवरणी)

कृपया विवरणी भरने से पूर्व दिशा-निर्देशों/परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक पढ़े

(उत्तर देनवालों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस विवरणी का ई-फॉर्म प्रस्तुत करें, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.org.in) पर फॉर्म्स श्रेणी के अंतर्गत फेमा फॉर्म्स खंड से डाउनलोड किया जा सकता है) ई-फॉर्म उपयोगकर्ता दिशानिर्देश तथा निरंतरता चेकों सहित सहज भरने योग्य है) विधिवत भरे हुए ई-फॉर्म ई-मेल करने चाहिए)

1.भारतीय कंपनी का नाम और पता:

कंपनी का नाम:

शहर:----------राज्य:----------

पिन:----------

2. आयकर विभाग द्वारा कंपनी को आबंटित पैन नंबर (10 डिजीटस्)

3. कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गयी पंजीकरण संख्या (21 डिजीटस्)

4. संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नाम: ----------पदनाम:----------

टेलिफोन सं.:---------- फैक्स:----------

ई-मेल:---------- कंपनी की वेबसाइट (यदि कोइ हो):

5. खाता बंद करने की तारीख:---------- (दिन/माह/वर्ष)

6 कारोबार का स्वरूप :

(राष्ट्रीय औदौगिक वर्गीकरण (एनआईसी) कूट के अनुसार)

7. यदि कंपनी के नाम और/अथवा गतिविधि में कोई परिवर्तन हो तो पुरानी और नयी कंपनी का नाम एवं उसकी गतिविधि विनिर्दिष्ट करें :

पुरानी कंपनी का नाम: ----------नयी कंपनी का नाम----------

प्रारंभ होने की तारीख तारीख----------

8. क्या आपकी कंपनी भारत में सूचीबद्ध है [हाँ/नहीं] नहीं

यदि हाँ, तो संदर्भाधीन अवधि की समाप्ति की तारिख को शेयर कीमत प्रस्तुत करें

	अंकित मूल्य (प्र□ति शेयर)	बाज़ार मूल्य (प्रति शेयर)	
	मौजूदा मार्च	विगत मार्च	मौजूदा मार्च

9. रिपोर्टिंग कंपनी की पहचान (आवक एफडीआई क अनुसार)

(ए) विदेशी एंटिटी की सहायक कंपनी (बी) विदेशी एंटिटी की सहयोगी कंपनी

(सी) पब्लिक प्राईवेट साझेदारी (डी) विशेष प्रयोजन संस्था (डी) अन्य

10. क्या कंपनी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है (हाँ/नहीं)?

11. क्या कंपनी विदेशी तकनीकी सहयोग प्राप्त है (हाँ/नहीं)?

12. विगत वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान क्या कंपनी की कोई कारोबारी गतिविधि है (हाँ/नहीं)?

खंड ॥

(वित्तीय ब्योरे)

ब्लॉक1: रिपोर्टिंग कंपनी के वित्तीय ब्योरे

ध्यान दें: सभी संदर्भाधीन अवधि, अर्थात विगत मार्च और मौजूदा मार्च के लिए जानकारी प्रस्तुत की जाए। यदि रिपोर्टिंग अवधि खाता समाप्ति अवधि न है तो जानकारी आंतरिक मूल्यांकन पर दी जाए।

ब्लॉक 1ए : भारतीय कंपनी की कुल प्रदत्त पूँजी

मद	पिछले वित्तीय वर्ष मार्च के अंत में		चालू वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में	
	शेयरों की वास्तविक संख्या	राशि लाख ` में	शेयरों की वास्तविक संख्या	राशि लाख ` में
1.0 कुल प्रदत्त पूँजी [(1.1)+(1.2)]				
1.1 कुल ईक्विटी तथा सहभागी अधिमानी शेयर पूंजी (=1.1(ए)+1.1(बी)				
(ए) सामान्य/ईक्विटी शेयर*				
(बी)सहभागी अधिमानी शेयर				
1.2 गैर-सहभागी अधिमानी शेयर #				
2.0 अनिवासी होल्डिंग (अंकित मूल्य पर लाख ` में				
2.1 ईक्विटी और सहभागी अधिमानी शेयर पूंजी (मद -1 से मद-12 का जोड़)				
1.व्यक्ति				
2.कंपनियां				
3.विदेशी संस्थागत निवेशक				
4.विदेशी जोखिम पूंजी निवेश				
5.विदेशी ट्रस्ट				
6.प्राइवेट ईक्विटी फंड				
7.पेंशन/भविष्य निधि फंड				
8. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धन निधि				
9.साझेदारी/स्वामित्व फर्म				
10. वित्तीय संस्थाएं				
11. अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति (एनआरआइ / पीआइओ)				
12.अन्य अनिवासी होल्डिंग				
2.2 गैर-सहभागी अधिमानी शेयर				
3.0 अनिवासी ईक्विटी और सहभागी अधिमानी शेयर पूंजी %				

टिप्पणी:

* ईक्विटी शेयर के विभिन्न वर्ग (वर्ग ए, वर्ग बी आदि) के मामले में, समेकित आँकड़े रिपोर्ट किये जाएं।

गैर-सहभागी अधिमानी शेयर को निम्नलिखित अधिकार नहीं है।

(ए) ईक्विटी शेयरहोल्डरों को लाभांश का भुगतान करने के बाद अधिशेष लाभ में से लाभांश प्राप्त करना।

(बी) कंपनी क समापन के मामले में समग्र पूंजी का भुगतान किए जाने पर शेष अधिशेष परिसंपत्तियों में शेयर लेना।

ब्लॉक 1 बी: लाभ और हानि खाता (पी/एल खाते से)

मद	राशि लाख ` में	
	पिछला वर्ष (अप्रैल-मार्च)	मौजूदा वर्ष (अप्रैल-मार्च)
3.1 कर के पहले लाभ(+)/हानी (-) **(वर्ष के दौरान)**		
3.2 कर के बाद लाभ(+)/हानी (-) **(वर्ष के दौरान)**		
3.3 लाभांश (अंतरिम तथा अंतिम लाभांश)		

3.4 लाभांश पर कर (यदि कोई हो)		
3.5 रोक रखा गया लाभ (= 3.2-3.3-3.4)		

ब्लॉक 1 सी: रिज़र्व और अधिशेष (तुलन पत्र से)

मद	के अंत में राशि लाख ` में	
	पिछले मार्च	मौजूदा मार्च
4.1 रिज़र्व (लाभ तथा हानि खाता शेष को छोड़कर)		
4.2 लाभ(+) और हानि(-) खाता शेष		
4.3 रिज़र्व और अधिशेष (=4.1+4.2)		
4.4 कंपनी की वल मालियत (=1.1+4.3)		

ब्लॉक 1 डी: वित्तीय वर्ष के दौरान की गयी बिक्री और खरीद

टिप्पणी: कंपनी द्वारा भरा जाना है जहाँ एकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक की होल्डिंग कुल ईक्विटी में 50% से अधिक है (अर्थात यदि भारतीय कंपनी विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी है)।

मद	के अंत में राशि लाख ` में	
	पिछले मार्च	मौजूदा मार्च
5.1 देशी बिक्री		
5.2 निर्यात		
5.3 कुल बिक्री (=5.1+5.2)		
5.4 देशी खरीद		
5.5 आयात		
5.6 कुल खरीद (=5.4+5.5)		

खंड III

(विदेशी देयताएं)

ध्यान दें: सभी संदर्भाधीन अवधि, अर्थात विगत मार्च और मौजूदा मार्च के लिए जानकारी प्रस्तुत की जाए। यदि रिपोर्टिंग अवधि खाता समाप्ति अवधि से भिन्न है अवधि से भिन्न है तो जानकारी आंतरिक मूल्यांकन पर दी जाए ।

2. भारत में किये गये निवेश:

(i) सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, संदर्भ अवधि की समाप्ति की तारीख को शेयर की कीमत के अनुसार ईक्विटी का मूल्य आँका जाए।

(ii) गैर सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, बही मूल्य पर स्वाधिकृत निधियों (ओएफबीवी) की पद्धति का प्रयोग किया जाए।

ब्लॉक 2ए: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत निवेश (10% अथवा अधिक ईक्विटी सहभागिता)

[भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशकों द्वारा रिपोर्टिंग तारीख को आपकी कंपनी में व्यक्तिगत तौर पर **10 प्रतिशत अथवा अधिक** के सामान्य शेयर/ ईक्विटी और अधिमानी शेयर धारण में से बकाया निवेश राशि यहाँ दर्शायी जाए ।]

अनिवासी कंपनी /व्यक्ति का नाम	पूंजी का प्रकार	अनिवासी निवेशक का देश	**अद्यतन वर्ष के अंत में ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयर पूँजी होल्डिंग का(%)**	**निम्नलिखित के अंत में राशि लाख ` में**	
				विगत मार्च	**मौजूदा मार्च**
	1.0 ईक्विटी पूंजी (=1.1-1.2)				
	1.1 प्रत्यक्ष निवेशक के प्रति देयताएं				
	1.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे				
	2.0 अन्य पूंजी # (=2.1-2.2)				
	2.1 प्रत्यक्ष निवेशक के प्रति देयताएं				
	2.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे				

टिप्पणी: (i) यदि जानकारी एक से अधिक निवेशकों के लिए प्रस्तुत की जानी है, तो उसी फॉर्मेट में अलग-अलग ब्लॉक जोड़ दें ।

(ii) **#** ब्लॉक-2ए की अन्य पूँजी, मद 2.1 तथा 2.2 में भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी की **ब्लॉक-2ए** में दर्शाये गये अनुसार अपने निदेशक निवेशकों के साथ ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयरों (अर्थात व्यापार ऋण, कर्ज, डिबेंचर्स, गैर-सहभागिता शेयर पूँजी, अन्य खाते गत प्राप्य और देय राशियाँ, आदि) से भिन्न सभी अन्य देयताएं तथा नाममात्र मूल्य पर दावे समाविष्ट हैं।

ब्लॉक 2बी: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत निवेश (10% ईक्विटी धारिता से कम)

[भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशकों द्वारा रिपोर्टिंग तारीख को आपकी कंपनी में व्यक्तिगत तौर पर **10 प्रतिशत से कम** के सामान्य / ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयरों के धारण में से बकाया निवेश राशि यहाँ दर्शायी जाए ।]

देश-वार समेकित जानकारी नीचे प्रस्तुत की जाए:

पूंजी का प्रकार	**अनिवासी निवेशक का देश**	**मौजूदा मार्च के अंत में ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयर पूँजी होल्डिंग प्रतिशत (%)**	**निम्नलिखित के अंत में राशि लाख ` में**	
			विगत मार्च	**मौजूदा मार्च**
1.0 ईक्विटी पूंजी (=1.1-1.2)				
1.1 प्रत्यक्ष निवेशक के प्रति देयताएं				
1.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे (रिवर्स निवेश)				
2.0 अन्य पूंजी (=2.1-2.2) #				
2.1 प्रत्यक्ष निवेशक के प्रति देयताएं				
2.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे				

टिप्पणी: (i) यदि जानकारी एक से अधिक देशों के लिए प्रस्तुत की जानी है, तो उसी फॉर्मेट में अलग-अलग ब्लॉक जोड़ दें ।

(ii) **#** ब्लॉक-2ए की अन्य पूँजी, मद 2.1 तथा 2.2 में भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी की **ब्लॉक-2बी** में दर्शाये गये अनुसार अपने अनिवासी निवेशकों **10 प्रतिशत से कम** के धारण में से ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयरों (अर्थात व्यापार ऋण, कर्ज, डिबेंचर्स, गैर-सहभागिता शेयर पूँजी, अन्य खाते गत प्राप्य और देय राशियाँ, आदि) से भिन्न सभी अन्य देयताएं तथा नाममात्र मूल्य पर दावे समाविष्ट हैं।

2सी. भारत में पोर्टफोलियो निवेश

अनिवासी निवेशकों द्वारा **भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना** के अंतर्गत किए गए निवेश की बकाया राशि यहां दर्शायी जाए। (अर्थात ब्लॉक-2ए और ब्लॉक-2बी में रिपोर्ट किए गए से अन्य)

पोर्टफोलियो निवेश	**मौजूदा मार्च के अंत में ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयर पूँजी होल्डिंग प्रतिशत (%)**	**निम्नलिखित के अंत में राशि लाख ` में**	
		पिछले वित्तीय वर्ष मार्च	**मौजूदा वित्तीय वर्ष मार्च**
1.0 ईक्विटी प्रतिभूतियां			
2.0 कर्ज प्रतिभूतियां (=2.1+2.2)			
2.1 मुद्रा बाजार लिखत(मूल परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक)			
2.2 बांड तथा नोट(मूल परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक)			
3.0 वर्ष के दौरान भारत में किए गए विनिवेश			

यह सुनिश्चित करें कि मौजूदा मार्च के लिए ब्लॉक 1(ए) की मद 3.0 में अनिवासी ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयर पूंजी, ब्लॉक-2ए अथवा ब्लॉक-2बी अथवा ब्लॉक-2सी में बाजार मूल्य पर रिपोर्ट की जाए अर्थात ब्लॉक-2ए, ब्लॉक-2बी और ब्लॉक-2सी का जोड़ ब्लॉक -1ए की मद 3.0 के समान होनी चाहिए।

खंड-IV

(विदेशी परिसंपत्तियां)

1. कृपया **लाख रूपये में विदेशी परिसंपत्तियां** रिपोर्ट करते समय रिपोर्टिंग वर्ष के पिछले वित्तीय वर्ष मार्च के अंत तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष मार्च के अंत की विनिमय दर का प्रयोग करें ।

2. यदि ओवरसीज कंपनी सूचीबद्ध है तो संदर्भ अवधि की समाप्ति की तारीख को शेयर की कीमत के अनुसार ईक्विटी का मूल्य आँका जाए। 3.जबकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, ईक्विटी निवेश के मूल्यांकनके लिए बही मूल्य पर स्वाधिकृत निधियों (ओएफबीवी) की पद्धति का प्रयोग किया जाए।

ब्लॉक 3: विदेश स्थित प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज के ईक्विटी कैपिटल, फ्री रिज़र्व तथा अधिशेष (भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी द्वारा धारित 10 प्रतिशत अथवा अधिक ईक्विटी)

(रिपोर्टिंग तारीख को अनिवासी इंटरप्राइज की कुल ईक्विटी, **आपकी कंपनी द्वारा धारित ईक्विटी** तथा आपकी प्रत्येक कंपनी द्वारा ऐसे इंटरप्राइज में धारित 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक के शेयर, कुल फ्री रिज़र्व और अधिशेष राशि यहां दर्शायी जाए ।)

डीआइइ का नाम	**मद**	मुद्रा	**निम्नलिखित के अंत में विदेशी मुद्रा में राशि (वास्तव में)**	
			पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च	**मौजूदा वित्तीय वर्ष केमार्च**
	3.1.डीआइई की कुल ईक्विटी			
	3.2.आपके द्वारा डीआइई की धारित ईक्विटी			
	3.3.रिज़र्व (पीएण्ड एल खाते कौ छोड़कर)			
	3.4.लाभ और हानि खाता शेष			
	3.5.रिज़र्व और अधिशेष (=3.3+3.4)			
	3.6 डीआइई की निवल मालियत(=3.1+3.5)			
	3.7विदेशी मुद्रा की प्रति युनिट रुपये में विनिमय दर*			

- भारतीय रुपये की तुलना में विदेशी मुद्रा रिपोर्टिंग की विनिमय दर संदर्भाधीन अवधि की समाप्ति की तारीख की दी जाए।विनिमय दरों के लिए FEDAI की वेबसाइट (http://www.fedai.org.in) का उपयोग किया जाए।

ब्लॉक 4. ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत विदेश में प्रत्यक्ष निवेश

ब्लॉक 4ए. विदेश में प्रत्यक्ष निवेश (10 प्रतिशत अथवा अधिक ईक्विटी होल्डिंग)

ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी इंटरप्राइज (DIE)में किए गए निवेश के तहत उनमें से प्रत्येक में, रिपोर्ट करने की तारीख को, धारित 10 प्रतिशत या अधिक ईक्विटी शेयर में निवेशगत बकाया स्थिति यहाँ रिपोर्ट की जाए ।

अनिवासी डीआइई का नाम	पूंजी का प्रकार	अनिवासी डीआइई का देश	**ईक्विटी होल्डिंग का(%)**	**निम्नलिखित के अंत में राशि लाख ` में**	
				पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में	**मौजूदा वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में**
	1.0 ईक्विटी पूंजी (=1.1-1.2)				
	1.1 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज पर दावे				
	1.2 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज के प्रति देयताएं(प्रति निवेश)				
	2.0 अन्य पूंजी (=2.1-2.2)				
	2.1 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज पर दावे				
	2.2 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज के प्रति देयताएं				

टिप्पणी: (i) यदि जानकारी एक से अधिक विदेशी कंपनी के लिए प्रस्तुत की जानी है, तो उसी फॉर्मेट में अलग-अलग ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4ए जोड़ दें ।

(ii) **#** ब्लॉक-2ए की अन्य पूँजी, मद 2.1 तथा 2.2 में भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी की **ब्लॉक-4ए** में दर्शाये गये अनुसार अपने अनिवासी निवेशकों के साथ ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयरों (अर्थात व्यापार ऋण, कर्ज, डिबेंचर्स, गैर-सहभागिता शेयर पूँजी, अन्य खाते गत प्राप्य और देय राशियाँ, आदि) से भिन्न सभी अन्य देयताएं तथा नाममात्र मूल्य पर दावे समाविष्ट हैं।

ब्लॉक 4बी. विदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (10 प्रतिशत से न्यून ईक्विटी होल्डिंग)

ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी इंटरप्राइज (DIE)में किए गए निवेश के तहत उनमें से प्रत्येक में, रिपोर्ट करने की तारीख को, धारित 10 प्रतिशत या न्यून ईक्विटी शेयर में निवेशगत बकाया स्थिति यहाँ रिपोर्ट की जाए ।

अनिवासी इंटरप्राइज का नाम	पूंजी का प्रकार	अनिवासी इंटरप्राइज का देश		निम्नलिखित के अंत में राशि लाख ` में		
				पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में		मौजूदा वित्तीय वर्ष मार्च के अंत में
	1.0 ईक्विटी पूंजी (=1.1-1.2)					
	1.1 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज पर दावे					
	1.2 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज के प्रति देयताएं					
	2.0 अन्य पूंजी (=2.1-2.2)					
	2.1 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज पर दावे					
	2.2 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज के प्रति देयताएं					

टिप्पणी: (i) यदि जानकारी एक से अधिक देशों के लिए प्रस्तुत की जानी है, तो उसी फॉर्मेट में अलग-अलग ब्लॉक 4बी जोड़ दें ।

(ii) **#** ब्लॉक-2ए की अन्य पूँजी, मद 2.1 तथा 2.2 में भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी की **ब्लॉक-4ए** में दर्शाये गये अनुसार अपने अनिवासी निवेशकों के साथ ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयरों (अर्थात व्यापार ऋण, कर्ज, डिबेंचर्स, गैर-सहभागिता शेयर पूँजी, अन्य खाते गत प्राप्य और देय राशियाँ, आदि) से भिन्न सभी अन्य देयताएं तथा नाममात्र मूल्य पर दावे समाविष्ट हैं।

ब्लॉक 5: विदेश में पोर्टफोलियो निवेश

1. अनिवासी इंटरप्राइज में किए गए निवेश जो **भारत में ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश योजना** के अंतर्गत किए गए निवेशों से भिन्न हैं की बकाया राशि ब्लॉक 4 में दर्शायी जाए ।

पोर्टफोलियो निवेश	अनिवासी इंटरप्राइज का देश	**निम्नलिखित के अंत में राशि लाख ` में**	
		पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च	**मौजूदा वित्तीय वर्ष के मार्च**
1.0 ईक्विटी प्रतिभूतियां (बाजार मूल्य पर)			
2.0 कर्ज प्रतिभूतियां (=2.1+2.2)			
2.1 मुद्रा बाजार लिखत(मूल परिपक्वता 1 वर्ष तक वाले)			
2.2 बांड तथा अन्य लिखत(मूल परिपक्वता 1 वर्ष से अधिक वाले)			

टिप्पणी:

(i)प्रत्येक प्रकार के निवेश संबंधी आँकड़े देश वार सूचना समेकित करते हुए रिपोर्ट किए जाने हैं ।

(ii)यदि किसी विशिष्ट प्रकार के निवेश के लिए आंकड़े रिपोर्ट करने के लिए दिए जाने वाले देशों की संख्या अधिक हो तो प्रत्येक देश के लिए अतिरिक्त (अलग-अलग) शीट का प्रयोग करते हुए इसी फॉर्मेट में आंकड़े रिपोर्ट किए जाएं ।

खंड V

ब्लॉक 6: अन्य निवेश (असंबंधित(अनरिलेटेड) पार्टियों के साथ स्थिति)

यह अवशिष्ट श्रेणी है, जिसमें प्रत्यक्ष निवेश अथवा पोर्टफोलियो निवेश के रूप में न आनेवाले सभी वित्तीय बकाया दावे शामिल हैं

अन्य निवेश	असंबंधित(अनरिलेटेड) पार्टी के साथ बकाया देयता		असंबंधित(अनरिलेटेड) पार्टी पर बकाया दावे	
	निम्नलिखित के अंत में राशि लाख ` मे			
	पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च	**मौजूदा वित्तीय वर्ष के मार्च**	**पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च**	**मौजूदा वित्तीय वर्ष के मार्च**
6.1 ट्रेड क्रेडिट				
6.2 ऋण				
6.3 करेंसी और जमाराशियां				
6.4 खातेगत अन्य प्राप्य और देय राशियां				

[इस रिटर्न का ई-फॉर्म रूपांतर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर 'फॉर्म्स' श्रेणी के तहत फेमा फॉर्म पर उपलब्ध है । सिस्टम अपेक्षा : एमएस एक्सेल 2003 तथा मैक्रो एनेबल्ड के साथ उल्लिखित]

स्थान:

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

कंपनी की सील और मुहर

20 जून 2012के एपी (डीआईआर सिरीज)
परिपत्र सं.133 का अनुबंध -I

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों संबंधी वार्षिक विवरणी

अनुदेश:

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के तत्वावधान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा **समन्वित प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण (सर्वे)** और **समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण** किए जाते हैं, जिनमें भारतीय **निवासी कंपनियों द्वारा उनकी विदेशी वित्तीय देयताएं और परिसंपत्तियों** की पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत के साथ-साथ हाल के (latest) वर्ष के दिसंबर और मार्च के अंत की स्थिति के अनुसार सूचना एकत्रित की जाती है। यह सूचना भारत के भुगतान संतुलन **(BoP)**, अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति **(IIP)**, समन्वित प्रत्यक्ष निवेश और समन्वित पोर्टफोलियो निवेश के लिए उपयोग में लायी जाती है।
सम्यक रूप से पूर्ण विवरणी रिपोर्टिंग कंपनी के तुलनपत्र की प्रति के साथ हाल के (latest) वर्ष के लिए प्रति वर्ष **15 जुलाई तक** भेजी जाए। एक्सेल फॉर्मेट में भरी हुई विवरणी ई-मेल पर भेजी जाए, तथापि, विवरणी भरने संबंधी प्रश्न ई-मेल किए जाएं ।

गोपनीयता की शर्त: इस प्रकार कंपनी-वार प्रस्तुत सूचना गोपनीय रखी जाएगी और रिज़र्व बैंक द्वारा केवल समेकित कुल राशि संबंधी जानकारी ही जारी की जाएगी।

अनुसूची भरने के लिए दिशानिर्देश:

1) विवरणी भरने से पहले एक्सेल फॉर्मेट में दी गयी **परिभाषाओं** को पढ़ें।
2) कंपनी की खाता बंदी तारीख पर ध्यान दिए बिना, जानकारी पिछले मार्च और अद्यतन मार्च के अंत के लिए निर्धारित फॉर्मेट में दी जाए ।
3) यदि संदर्भ अवधि लेखा बंदी अवधि से भिन्न है और/अथवा लेखापरीक्षा न हुई हो तो आंतरिक मूल्यांकन अथवा बिना लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर सूचना प्रस्तुत की जाए।
4) सभी राशियाँ निम्नवत दर्शायी/रिपोर्ट की जाएं:
   (ए)ब्लॉक 1, 2, 4 और 5 में राशि भारतीय रुपए में लाख में दर्शायी जाए,
   (बी)ब्लॉक 3 के अंतर्गत वास्तविक विदेशी मुद्रा को दर्शाया जाए।
5) यदि कोई ब्लॉक आपके द्वारा दिए जाने वाले आंकड़ों के लिए पर्याप्त न हो तो संबंधित ब्लॉक अंतर्निहित करने के लिए add button का उपयोग करें ।
6) विदेशी देयताओं और विदेशी परिसंपत्तियों के मूल्यांकन (वैलुएशन) का तरीका/की पद्धति

सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ईक्विटी के मूल्य को आंकने हेतु रिपोर्टिंग अवधि की अंतिम तारीख को की शेयर कीमत का प्रयोग किया जाए, जबकि गैर-सूचीबद्ध कंपनियाँ बही मूल्य पर स्वाधिकृत निधि की अवधारणा का प्रयोग करें।

उदाहरण: गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में बही मूल्य पर स्वाधिकृत निधि की अवधारणा का प्रयोग करते हुए ईक्विटी निवेश का मूल्यांकन

		पिछले मार्च	अद्यतन मार्च
ए	ईक्विटी शेयर पूँजी		
बी	सहभागिता अधिमानी शेयर पूँजी		
सी	ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयर पूँजी	ए+बी	ए+बी
डी	रिज़र्व और अधिशेष		
ई	कंपनी की निवल मालियत	सी+डी	सी+डी
एफ	अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा धारित ईक्विटी शेयर पूँजी		
जी	अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा धारित सहभागिता अधिमानी शेयर पूँजी		
एच	अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा धारित ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयर पूँजी	एफ+जी	एफ+जी
आई	ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयर पूँजी धारण प्रतिशत	एच/सी	एच/सी
जे	बाजार मूल्य पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	ई*आई	ई*आई

टिप्पणी:

ए) अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अनिवासी को जारी शेयरों की सूचना वार्षिक विवरणी में न दी जाए।

बी) कर्ज संबंधी प्रतिभूतियों (डेट सिक्युरिटीज़) की कीमत बाजार दर पर आंकी जाए, जबकि ऋण, ट्रेड क्रेडिट, जमाराशियां, अन्य खातेगत देय/प्राप्य राशियाँ जैसे अन्य प्रकार के कर्ज नाममात्र मूल्य पर आंके जाएं।

सी) विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित रिपोर्टिंग करते समय, विगत वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में रही और अद्यतन वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में रही विनिमय दर (यथा लागू) का प्रयोग किया जाए ।

भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरणी (रिटर्न) फाइल करने से पूर्व कृपया निम्नलिखित की जांच कर लें कि :

- आपने विवरणी में अपने से संबंधित सभी मदों को रिपोर्ट किया है और वे आपके अभिलेखों के अनुसार हैं।
- आपने फाइल की गई अनुसूची की प्रतिलिपि अपने अभिलेख में रखी है।

किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर आप निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:

ELASD Help-desk
टेलीफोन नं.: (022) 26571265/26578340/26578241
फैक्स नं.: (022) 26571265/26570848
e-mail:

विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों संबंधी वार्षिक विवरणी को
भरते समय प्रयोग की जाने वाली अवधारणाएं और परिभाषाएं

इंटरप्राइज का निवास स्थान

किसी इंटरप्राइज को किसी देश (आर्थिक क्षेत्र) में आर्थिक हितों का केंद्र और देश का निवासी तभी माना जाता है जब इंटरप्राइज वहाँ वस्तुओं और/या सेवाओं के उत्पादन के महत्वपूर्ण कार्य में लगा हो या वहाँ की भूमि या भवन उसके स्वामित्व में हो। इंटरप्राइज का ऐसे देश में कम से कम एक उत्पादन संस्थान हो और वह उसे अनिश्चित काल या दीर्घावधि के लिए वहाँ चलाना चाहता हो।

रोक रखा गया लाभ (ब्लाक 1बी, मद सं. 3.5, खंड-॥)
रोक रखा गया लाभ=टैक्स घटाकर शेष रहा लाभांश-घोषित लाभांश (लाभांश पर कर को छोड़कर)
(अर्थात मद सं. 3.5 = मद सं. 3.2 - ब्लाक - 1बी की मद सं. 3.3)

रिज़र्व (ब्लॉक 1 सी, मद 4.1, खंड-॥)
इसमें कंपनी के तुलन पत्र में दर्शाये गए सभी रिज़र्व शामिल होंगे। इसमें लाभ/हानि खातों से आगे लायी गयी शेष राशियों का समावेश नही हिगा ।

ए. प्रत्यक्ष निवेश
प्रत्यक्ष निवेश अंतर्राष्ट्रीय निवेश की वह श्रेणी है जिसमें एक आर्थिक क्षेत्र/देश की निवासी इंटिटी अर्थात प्रत्यक्ष निवेशकर्ता (DI) अन्य आर्थिक क्षेत्र/देश के निवासी इंटरप्राइज अर्थात प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज (DIE) में दीर्घावधि हितों को अर्जित करती है। इसमें दो घटक होते हैं अर्थात ईक्विटी कैपिटल और अन्य कैपिटल।

(i) प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत ईक्विटी कैपिटल

यह (1) शाखाओं में ईक्विटी और उसकी सहायक तथा सहयोगी कंपनियों में सभी शेयर (गैर भागीदारी अधिमानी शेयरों को छोड़कर); (2) प्रत्यक्ष निवेशकर्ता (DI) द्वारा प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज (DIE) में ईक्विटी सहभागिता द्वारा मशीनरी, भूमि और भवन जैसे प्रावधानों के लिए किए गए अंशदान; (3) प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज (DIE) द्वारा अपने प्रत्यक्ष निवेशकर्ता (DI) के शेयरों का अर्जन जिन्हें रिज़र्व निवेश माना गया हो (अर्थात प्रत्यक्ष निवेशक र्ता पर दावे i.e. claims on DI) को कवर करता है।

a) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (ब्लाक 2ए, 2बी, खंड-॥।)

यदि भारतीय कंपनी ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी इंटिटी को शेयर जारी किए हों तो उन्हें भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (देयताओं) के अंतर्गत विवरणी के खंड III में रिपोर्ट किया जाएगा। यदि अनिवासी इंटिटी रिपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनी की **10% या अधिक** ईक्विटी/के साधारण शेयरों को धारण किए हो तो उसे **ब्लाक 2ए** (प्रत्यक्ष निवेशगत देयताओं की मद सं. 1.1) के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा। तथापि, यदि अनिवासी इंटिटी रिपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनी की **10% से न्यून** ईक्विटी और भागीदारी अधिमानी शेयर कैपिटल धारण किए हो तो उसे **ब्लाक 2बी** (प्रत्यक्ष निवेशगत देयताओं की मद सं. 1.1) के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा। इन दोनों मामलों में निवेशकर्ता अनिवासी इंटिटी को प्रत्यक्ष निवेशकर्ता(DI) कहा जाता है जबकि रिपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनी को प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज (DIE) कहा जाता है।

यदि **रिपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनी** भी **प्रत्यक्ष निवेशकर्ता (DI) विदेशी कंपनी के ईक्विटी शेयरों** को विदेश में धारण किए हो और यदि इसके शेयर निवेशकर्ता (DI) कंपनी की ईक्विटी कैपिटल के **10% से न्यून** हें तो उसे **<u>विपर्यय (रिवर्स) निवेश</u>** कहा जाता है और उसे संबंधित ब्लाक यथा **ब्लाक 2ए या ब्लाक 2बी** के अंतर्गत **मद सं. 1.2**(प्रत्यक्ष निवेशकर्ता पर दावे) के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा।

b) **<u>भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश</u>(**ब्लाक 4ए तथा 4बी, खंड-IV)

यदि रिपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनी भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना अर्थात विदेशी संयुक्त उद्यम (JV) या विदेशी पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी (WOS) में निवेश करने की योजना के अंतर्गत अनिवासी कंपनी के शेयरों में निवेश करती है तो उसे विदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत खंड IV में रिपोर्ट किया जाएगा। यदि भारतीय कंपनी की ईक्विटी धारिता अनिवासी कंपनी में **10% या अधिक हो** तो उसे **ब्लाक 4ए** (DIE पर दावे के तहत मद सं. 1.1) में रिपोर्ट किया जाएगा, **अन्यथा** उसे **ब्लाक 4बी** (DIE पर दावे के तहत मद सं. 1.1) में रिपोर्ट किया जाएगा। इन दोनों ही मामलों में भारतीय कंपनी को प्रत्यक्ष निवेशकर्ता कहा जाता है जबकि अनिवासी कंपनी को प्रत्यक्ष निवेश उद्यम(इंटरप्राइज) कहा जाता है।

यदि **अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम(इंटरप्राइज)** भी **भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी में ईक्विटी शेयर** धारण करती है और यदि उसके ये शेयर रिपोर्टिंग कंपनी के ईक्विटी कैपिटल के **10% से न्यून** होते हैं तो इसे विपर्यय (रिवर्स) निवेश कहा जाता है और उसे संबंधित ब्लाक अर्थात ब्लाक 4ए या 4बी की मद सं. 1.2(प्रत्यक्ष निवेश उद्यम(इंटरप्राइज के प्रति देयताएं) में रिपोर्ट किया जाएगा।

(ii) <u>प्रत्यक्ष निवेश</u> (ब्लाक 2ए, 2बी, 4ए और 4 बी) **<u>के अंतर्गत अन्य कैपिटल</u>**

प्रत्यक्ष निवेश के घटकों के अंतर्गत अन्य कैपिटल (ईक्विटी और सहभागी अधिमानी सेयर निवेश से अतिरिक्त अन्य प्राप्य तथा देय राशियां) में **उधार या निधियों को उधार देने, कर्ज प्रतिभूतियों में निवेश जिनमें गैर सहभागिता वाले अधिमानी शेयर(non-participating preference share), ट्रेड क्रेडिट, वित्तीय लीजिंग, शेयर आवेदन जो प्रत्यक्ष निवेशकर्ता और प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (इंटरप्राइज) के बीच हुए हों, शामिल होते हैं।** प्रत्येक्ष निवेशकर्ता द्वारा धारण किए गए गैर सहभागिता वाले अधिमानी शेयरों को कर्ज प्रतिभूति (Debt security) माना जाता है और उन्हें अन्य कैपिटल में शामिल किया जाएगा।

2 पैराग्राफ

बी. <u>पोर्टफोलियो निवेश</u>:

(i) **पोर्टफोलियो निवेश** (ब्लाक 2सी और 5)

यह मद ईक्विटी और कर्ज प्रतिभूतियों में **रिपोर्टकर्ता भारतीय कंपनी द्वारा किए गए विदेशी दावे या के प्रति विदेशी देयताएं** कवर करती है **जो प्रत्यक्ष निवेश** (देयता साइड पर ब्लाक 2ए, 2बी और परिसंपत्ति साइड पर और 4ए, 4बी) में शामिल नहीं हैं। कर्ज प्रतिभूतियों में दीर्घावधि बांड और नोट्स, शार्ट टर्म मनी मार्केट लिखत शामिल हैं।

भारत में पोर्टफोलियो योजना के अतर्गत **भारतीय कंपनी में किसी अनिवासी इंटिटी** द्वारा किया गया निवेश **ब्लाक 2सी** के अंतर्गत (पोर्टफोलियो देयताओं में) रिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा, भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी के अनिवासी द्वारा द्वितीयक बाजार के जरिये खरीदे गए शेयर ब्लाक 2सी में पोर्टफोलियो देयताओं के रूप में रिपोर्ट किए जाएंगे।

किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत किए गए निवेश से भिन्न विदेशी शेयरों और/या कर्ज प्रतिभूतियों में किए गए निवेश **ब्लाक 5** (पोर्टफोलियो परिसंपत्तियों) के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाएंगे।

(ii) **<u>ईक्विटी प्रतिभूतियाँ</u>** (ब्लाक 3ए और 5ए, मद सं. 1.0)

ईक्विटी प्रतिभूतियाँ वे लिखत हैं जो सभी लेनदारों के दावों की पूर्ति करने के बाद जारीकर्ता इंटरप्राइज के पास अवशिष्ट रही आय पर धारक के दावे की पुष्टि करती हैं। इनमें साधारण शेयर, स्टाक, सहभागिता अधिमानी शेयर, अनिवासियों को जारी ईक्विटी प्रतिभूतियों के स्वामित्व को दर्शाने वाली डिपाज़िटरी रसीदें (एडीआर/जीडीआर), मुचुअल फंडों और निवेश ट्रस्टों के शेयर/यूनिटें, ईक्विटी प्रतिभूतियाँ जो पुनर्खरीद करार के तहत बेची गईं, उधार देने की व्यवस्था के तहत बेची गईं हों, शामिल हैं।

(iii) **<u>कर्ज (डेट) प्रतिभूतियाँ</u>** (ब्लाक 3ए और 5ए, मद सं. 2.0)

इनमें बांड और नोट्स, मुद्रा बाजार के लिखत शामिल हैं।

(iv) **<u>बांड और नोट्स</u>** (ब्लाक 3ए और 5ए, मद सं. 2.1)

इस श्रेणी में वे कर्ज प्रतिभूतियाँ शामिल हैं जिनकी मौलिक संविदात्मक परिपक्वता अवधि एक साल से अधिक (दीर्घावधि) है। इनमें डिबेंचर, गैर सहभागिता अधिमानी शेयर, परिवर्तनीय बांड, परक्राम्य जमा प्रमाणपत्र (NCD), बेमियादी बांड, संपार्श्विक बंधक दायित्व, दोहरी करेंसी, जीरो कूपन बांड, फ्लोटिंग रेट बांड और इंडेक्स संबद्ध बांड जैसी दीर्घावधि प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

(v) **<u>मुद्रा बाजार के लिखत(Money Market Instruments</u>**(ब्लाक 3ए और 5ए, मद सं. 2.2)

इन अल्पावधि लिखतों में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, बैंकर की स्वीकृति, अल्पावधि जमाराशियों के परक्राम्य प्रमाणपत्र और अल्पावधि नोट्स जो नोट जारी करने की सुविधा के तहत जारी हुए शामिल हैं। यह नोट किया जाए कि मुद्रा बाजार के लिखतों की विशेषताओं (को शेयर करने) वाले लिखत जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष या अधिक है को बांड या नोट्स में वर्गीकृत किया जाता है।

सी. <u>वित्तीय डेरिवेटिव:</u>(ब्लाक 3बी और 5बी)

वित्तीय डेरिवेटिव विनिर्दिष्ट वित्तीय लिखत, इंडीकेटर, या पण्य (कमोडिटी) से संबद्ध होते हैं और उनके मार्फत विनिर्दिष्ट वित्तीय जोखिमों को उनके अधिकार के तहत वित्तीय बाजार में खरीदा-बेचा (ट्रेड किया) जा सकता है। डेरिवेटिव लिखतों में फ्यूचर्स, ब्याज दर और करेंसी स्वाप, वायदा दर करार (forward rate agreements), वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं, क्रेडिट डेरिवेटिव और विभिन्न प्रकार के आप्शंन शामिल हैं।

डी. <u>अन्य निवेश:</u>(ब्लाक 3सी और 5सी)

यह एक अवशिष्ट श्रेणी है जिसमें **प्रत्यक्ष निवेश या पोर्टफोलियो निवेश न समझे गए** शेष सभी वित्तीय लिखत शामिल हैं।

(i) <u>ट्रेड क्रेडिट</u>(ब्लाक 3सी और 5सी, मद सं. 4.0)

ट्रेड क्रेडिट वे परिसंपत्तियाँ और देयताएं हैं जो **आपूर्ति कर्ता** से **क्रेता को वस्तुओं एवं सेवाओं** को क्रय करने के लिए क्रेडिट के रूप में **सीधे मिलीं** और क्रेता द्वारा वस्तुओटं एवं सेवाओं और प्रगति पर रहे कार्यों के संबंध में **अग्रिम भुगतान** से उत्पन्न हुई हों। **ट्रेड क्रेडिट परिसंपत्तियाँ आयातकर्ता** द्वारा आयात के लिए **किए गए अग्रिम भुगतान** हैं या **निर्यातकर्ता द्वारा आयातकर्ता** को मिली **सीधी क्रेडिट** है । यहाँ यह नोट किया जाए कि वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के प्रयोजन से **आपूर्तिकर्ता से भिन्न इंटरप्राइज** द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों को ट्रेड क्रेडिट न मानकर **ऋण माना जाता है।**

(ii) <u>ऋण</u> (ब्लाक 3सी और 5सी, मद सं. 5.0)

किसी उधार देने वाले द्वारा किसी उधार लेने वाले को किसी प्रबंध के अंतर्गत सीधे निधियाँ उपलब्ध कराना ऋण कहलाता है। इनमें व्यापार (ट्रेड) के लिए वित्तीय सहायता देना (अर्थात क्रेता को ऋण जिसमें कोई बैंक या वित्तीय संस्था या निर्यातकर्ता देश की निर्यात ऋण प्रदाता एजेंसी वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए विदेशी क्रेता या आयातकर्ता देश के बैंक को सीधे ऋण उपलब्ध कराता है), बंधक, और अन्य ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। वित्तीय लीज और पुनर्खरीद करार को भी ऋण माना जाता है।

कृपया नोट करें कि **अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशकर्ता से प्राप्त ऋण** को **ब्लाक 2ए या 2बी** में **अन्य कैपिटल शीर्षक के तहत** दर्ज करना चाहिए, जबकि आपकी सहायक या सहयोगी कंपनियों क ाट दिए गए ऋण को **ब्लाक 4ए या 4बी** के अन्य कैपिटल शीर्षक के तहत दर्ज करना चाहिए। ये बकाया ऋण ब्लाक 3सी या 5सी के अंतर्गत ऋण शीर्षक के तहत रिपोर्ट किए जाने चाहिए।

<u>अन्य देयताएं और परिसंपत्तियाँ</u> (ब्लाक 3सी और 5सी, मद सं. 6.0)

ये वे अवशिष्ट मदें हैं जिनमें देयताओं/परिसंपत्तियों के अंतर्गत अन्यत्र रेकार्ड न की गई सभी वाह्य वित्तीय देयताएं और परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। बकाया ब्याज भुगतान से संबंधित खाते, बकाया रहे ऋण के भुगतान, बकाया मजदूरी और वेतन, बीमा प्रीमियम के अवधिपूर्व भुगतान, बकाया कर और ऐसी अन्य मदों जैसे ये विविध प्राप्य/देय लेखे शामिल हैं।

(iii) <u>दीर्घावधि और अल्पावधि निवेश</u> (ब्लाक 3सी और 5सी)

दीर्घावधि निवेश को उस निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी मूल संविदात्मक परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक हो। अल्पावधि निवेश में ऐसी करेंसी, ऐसे निवेश शामिल हैं जो मांग पर देय हैं या जिनकी संविदात्मक परिपक्वता अवधि एक वर्ष या उससे कम है।

ई. <u>भारत और विदेश में विनिवेश</u> (ब्लाक 2ए, 2बी, 3ए, 4ए, 4बी और 5ए की मद सं. 3.0)

रिपोर्टकर्ता भारतीय कंपनी के अनिवासी प्रत्यक्ष निवेकर्ता द्वारा वर्ष के दौरान किया गया कोई विनिवेश ब्लाक 2ए और ब्लाक 2बी में तथा पोर्टफोलियो विनिवेश को ब्लाक 3ए में रिपोर्ट किया जाएगा। इसी प्रकार रिपोर्टकर्ता भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (DIE) में वर्ष के दौरान किया गया विनिवेश ब्लाक 4ए और 4बी तथा पोर्टफोलियो विनिवेश रिपोर्टकर्ता कंपनी द्वारा ब्लाक 5ए में रिपोर्ट किया जाएगा।

एफ. <u>आकस्मिक देयताएं</u> (ब्लाक 7)

आकस्मिक देयताएं वे दायित्व हैं जो किसी घटना विशेष के घटने या न घटने से उत्पन्न होते हैं। आकस्मिक देयताएं (i) स्पष्टत:- विधिक या सांविधिक प्रबंध (ऋण और अन्य भुगतान गारंटियाँ, क्रेडिट गारंटियाँ, आकस्मिक क्रेडिट उपलब्धता, विनिमय दर गारंटी, आदि) से उत्पन्न हुई हों और (ii) अंतर्निहित:- जो विधिक या संविदात्मक स्रोतों से उत्पन्न हुई हों, किन्तु किसी स्थिति के होने/घटना के घटने/महसूस होने पर मानी जाती हैं।

यदि कोई भारतीय कंपनी किसी अनिवासी इंटिटी (जो उसकी विदेश स्थित सहायक कंपनी भी हो सकती है) द्वारा लिए गए ऋण की गारंटी देती है, तो ऐसी गारंटी उसकी आकस्मिक विदेशी देयता का भाग होगी। इस मामले में ब्लाक 7 के स्तंभ (कालम) 1 के अंतर्गत "ऋण गारंटी" लिखना जरूरी होगा।

इस देश का मिलान उस देश से करना चाहिए जिसका (संबंधित स्थान का) अनिवासी क्रेडिटर लेनदेन में शामिल हो। उल्लेखानुसार उदाहरण स्वरूप यदि ऋण के लिए दी गई गारंटी से आकस्मिक विदेशी देयता का संबंध है तो गारंटी प्राप्त अनिवासी क्रेडिटर के निवासी देश को स्तंभ(कालम) 2 में रिपोर्ट किया जाएगा।